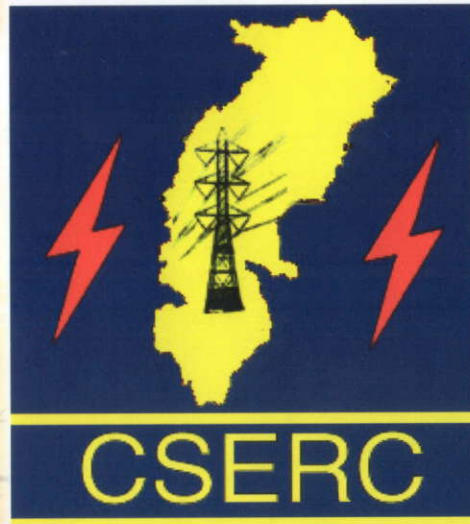




छत्तीसगढ़ शासन

वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2024-2025



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग



वार्षिक लेखा प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2024–2025

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024–2025

विषय—सूची

शीर्षक	पृष्ठ क्र.
आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण	: 1–1
परिशिष्ट	
वित्तीय वर्ष 2024–25 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण, लेखा संपरीक्षा प्रमाण पत्र तथा प्रतिवेदन	: 2–22

आयोग का वित्त एवं लेखा विवरण वर्ष 2024–25

1 आयोग की निधि

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 103 में राज्य शासन द्वारा एक निधि की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसे राज्य विद्युत नियामक आयोग निधि के नाम से जाना जाता है तथा जिसमें राज्य शासन द्वारा आयोग हेतु आबंटित अनुदान राशि, ऋण एवं आयोग द्वारा प्राप्त समस्त वैधानिक शुल्क आदि को शामिल किया जाता है।

इस निधि का उपयोग “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (निधि) नियम, 2007 जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित होकर दिनांक 18 मई 2007 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, में निहित प्रावधानों के तहत किया जाता है।

2 आयोग के लेखाओं, बजट एवं लेखा संपरीक्षा नियम

आयोग के लेखाओं का संधारण, बजट की प्रस्तुति एवं लेखा संपरीक्षा (ऑडिट) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित नियम जिनका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 06 जुलाई 2007 को “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (वार्षिक लेखा, संपरीक्षा एवं बजट) नियम 2007 के नाम से प्रकाशित हो चुका है, के द्वारा संचालित होते हैं। उक्त नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक लेखा विवरण संपरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य संस्था को लेखा संपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को आयोग के अध्यक्ष, वित्तीय मामलों के एक सदस्य एवं सचिव द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। उक्त नियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंत तक वर्तमान वित्तीय वर्ष का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं आने वाले वर्ष का संभावित बजट अनुमान राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाना है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024–25 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षण महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा किया जा चुका है एवं वर्ष 2025–26 का पुनरीक्षित बजट अनुमान एवं बजट अनुमान 2026–27 शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है।

3 वित्तीय वर्ष 2024–25 का संक्षिप्त लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2024–25 का संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण एवं महालेखाकार, छ.ग. द्वारा जारी संपरीक्षा प्रमाण-पत्र इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में है।

4 वित्तीय वर्ष 2024–2025 का रोकड़ विवरण निम्नानुसार है:—

प्रारंभिक रोकड़ (दिनांक 01.04.2024) — ₹. 8,82,18,635.97 /—
(जो कि दिनांक 31.03.2024 की स्थिति में
वित्तीय वर्ष 2023–24 का अंतिम रोकड़ था)

अंतिम रोकड़ (दिनांक 31.03.2025) — ₹. 14,37,63,976.16 /—

परिशिष्ट

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़, रायपुर



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT) CHHATTISGARH, RAIPUR

दिनांक/Date 03.06.2026

प्रति,

प्रबंध निदेशक,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर,
रायपुर, छत्तीसगढ़-492001



विषय:- 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के लेखों पर विधुत अधिनियम 2003 की धारा 104(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को समाविष्ट कर प्रकाशित वार्षिक लेखों की छः प्रतियाँ वार्षिक सामान्य सभा (AGM) के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरांत AGM कार्यवाही विवरण की एक प्रति सहित इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया,

वरि. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-II)

पोस्ट – विधान सभा, जीरो पॉइंट, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492005

Post- Vidhan Sabha, Zero Point, Raipur, Chhattisgarh – 492005

फोन/Phone: 0771-2281401

फैक्स/Fax : 2582505

ईमेल/Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2025

Opinion

We have audited the financial statements of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 104 (2) of the Electricity Act, 2003.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion the accompanying financial statements of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, read together with the accounting policies and Notes thereon and matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, give a **true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year ended in accordance with the format approved by the Chhattisgarh State Government in consultation with the CAG under Section 104 (2) of the Electricity Act, 2003.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the CAG's auditing regulations/standards/manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

No comment.

Responsibilities of Management for the financial statements

The Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the format approved by the Chhattisgarh State Government in consultation with the CAG under Section 104 (2) of the Electricity Act, 2003 and for internal

control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

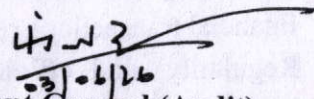
Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations /standards/ manuals/ guidelines/ guidance-notes/ orders/ circulars etc.

**For and on behalf of
the Comptroller and Auditor General of India**

Place: Raipur

Date: 03.06.2026


Accountant General (Audit)

Separate Audit Report on the Accounts of Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission for the year ended 31 March 2025

A. Balance Sheet

Asset

Advance to PWD: ₹18.38 Lakh

1. Above includes ₹15.38 lakhs being advance to PWD for civil and electrical repair and maintenance works carried out in the Commission's office building between 2018 and 2020. As, the work of ₹ 15.38 lakh was completed by September 2023 except for minor components, the same should have been charged to Income and Expenditure Account (prior period 2023-24) under the head Administrative and Other Office expenses which same was not done. This has resulted in understatement of expenditure (prior period 2023-24) and over statement of excess of Income over expenditure as well as assets (advance to PWD) by ₹15.38 lakhs.

Advance to IIT Kanpur: ₹15.93 Lakh

2. Above includes ₹ 15.93 lakh being advance to IIT Kanpur to carry out study to develop a framework for efficient procurement and sale of power on 06 January 2020 at a total cost of ₹ 39.83 lakh. However, the IIT Kanpur submitted its final report to Commission on 23 November 2022 consequently the final payment has also been made to IIT Kanpur on 01 August 2023. The advance to IIT Kanpur ₹ 15.93 lakh should have been charged to expenditure (prior period 2023-24) under Income and Expenditure Account but the same was not done. This has resulted in understatement of expenditure (prior period 2023-24) and over statement of excess of Income over expenditure as well as assets (advance to IIT Kanpur) by ₹15.93 lakhs.

B. Management Letter

Deficiencies which have not been included in this Separate Audit Report have been brought to the notice of the Management through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.

C. Assessment of Internal Controls

- a. **Adequacy of Internal Control System:** Internal Control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Commission.
- b. **Adequacy of Internal Audit System:** As per Rule 9 (b) of Chhattisgarh State Electricity Regularity Commission (Annual Accounts, Audit and Budget) Rules, 2007 "internal audit" of the Commission shall be entrusted to a person of the Commission designated by the Chairperson or to a firm of Chartered Accountants. However, Commission had not appointed the internal auditor for the FY 2024-25 to carry out internal audit. Thus, no internal audit of the Commission was conducted for the year 2024-25.
- c. **System of Physical verification of fixed assets:** The Physical Verification of the Fixed Assets has not been conducted during the year 2024-25.

- d. **System of Physical verification of inventory:** The Commission does not have any inventory as it is not a manufacturing or trading entity.
- e. **Regularity in payment of statutory dues:** The Commission is regular in depositing undisputed statutory dues.

D. Grants-in-aid:

No grant was received during the year.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप-क
(देखिये नियम 6)

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2024 से 31.03.2025)

गत वर्ष (₹)	प्राप्तियाँ	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	भुगतान	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
17009.00	1. प्रारंभिक शेष (i) हस्तस्थ रोकड़	12255.00	88218635.97	46720973.00	1. स्थापना व्यय (i) वेतन एवं भत्ते	43145917.50	
306.00	(i) खुदरा रोकड़	5000.00		0.00	(ii) मजदूरी	0.00	
52109546.68	(iii) बैंक में रोकड़	88201380.97	0.00	1864231.00	(iii) व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं रख रखाव)	2969832.00	
0.00	2. छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान	0.00		1228539.00	(iv) मृत्यु सह सूवानिवृत्ति उपादान	65805.00	
314555287.00	3. आयोग की प्राप्तियाँ (i) निवेश से प्राप्तियाँ	237294381.00	0.00	1530130.00	(v) अवकाश वेतन का भुगतान	0.00	
29982505.80	(क) निवेश का नगदीकरण	10570327.00		447795.00	(vi) यात्रा व्यय	799378.00	
260038.00	(ख) निवेश पर ब्याज	195033.00	0.00	28514.00	(अ) देशीय यात्रा	233965.00	
0	(ii) कर्मचारियों से ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0		18604.00	(ब) विदेश यात्रा	0.00	
113222690.00	(iii) अन्य प्राप्तियाँ (क) वर्तन	134826811.40	0.00	12500.00	(स) अवकाश यात्रा रियायत	7500.00	
3515917.70	(ख) शुल्क, जुर्माना, शास्ति एवं प्रभार	3901437.00		613618.00	(vii) मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)	537379.00	
0.00	(ग) बैंक में रोकड़ पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	(viii) चिकित्सा प्रतिपूति	62000.00	
723000.00	(घ) कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	0.00		3634333.00	(ix) अधिलामांश	4214925.00	
144258.00	(ङ) विविध प्राप्तियाँ	184000.00	0.00	0.00	(x) अन्य स्थापना व्यय (विद्युत लोकपाल कार्यालय)	52036701.50	
10272960.00	(i) बयाना राशि	6820.00		214305.00	2. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय	0.00	
2659783.00	(ii) प्रतिभूति निक्षेप (प्राप्त)	7555199.00	0.00	0.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	199639.00	
36000.00	(iii) प्रेषण प्राप्तियाँ	3465613.00		18015560.21	(ii) दूरभाष एवं फैंक्स व्यय	0.00	
27000.00	(iv) नवीन अंशदायी पेंशन योजना (कर्मचारी का अंशदान)	1500.00	0.00	3524.00	(iii) किराया दर एवं कर	18587493.21	
0.00	(v) निविदा प्रपत्र की बिक्री	21500.00		0.00	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	7719.00	
6000.00	(vi) गृह किराया वसूली	4700.00	0.00	345307.00	(v) वैधानिक व्यय	0.00	
4866.00	(vii) प्रकाशन का विक्रय	3378.00		106423.00	(vi) जी.आई.एस. अंशदान प्रीमियम	18794851.21	
3834276.00	(ix) अन्य विविध प्राप्तियाँ	3744325.00	0.00	627000.00	3. पूंजीगत व्यय	291316.00	
0.00	(x) विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	787420.00		10282163.00	4. प्रतिभूति निक्षेप (पक्षकारों को भुगतान)	0.00	
0.00	(xi) आयकर प्राप्य	0.00	-20000.00	195098.00	5. बयाना राशि की वापसी	294500.00	
176050.00	(xii) प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय	0.00		52804.00	6. प्रेषण भुगतान	7145987.50	
	(xiii) दावा न की गई फीस		0.00	70000.00	7. कर्मचारियों को अग्रिम (यात्रा हेतु अग्रिम)	22000.00	
				12255.00	(i) अन्य अग्रिम	753181.00	
			490761080.37	5000.00	(ii) यात्रा अग्रिम	64000.00	
				88201380.97	(iii) त्र्यौहार अग्रिम	52224.00	
			531547493.18	0.00	8. अंतिम शेष	5000.00	
				0.00	(i) हस्तस्थ रोकड़	143706752.16	
				0.00	(ii) खुदरा रोकड़	0.00	
				0.00	(iii) बैंक में रोकड़	0.00	
				0.00	9. एन्टीवायरस साफ्टवेयर	0.00	
				0.00	10. पी.डब्ल्यू.डी को अग्रिम	0.00	
				0.00	11. एन.आई.सी सर्विस को अग्रिम	0.00	
				0.00	12. आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम	0.00	
				350000000.00	13. बैंक स्थायी निवेश	260000000.00	
				7317436.00	14. सी.पी.एस. निधि का भुगतान	7616842.00	
				0.00	15. पुराने धनादेश का भुगतान	-22275.00	
					15. अवशिष्ट सम्पत्ति के विक्रय से हानि	0.00	
531547493.18			490761080.37	531547493.18			490761080.37

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप-3
(देखिये नियम 8)

आय व्यय लेखा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2024 से 31.3.2025)

गत वर्ष (₹)	व्यय	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	आय	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
46599147.00	क. (1) स्थापना व्यय (सारणी-अ)	42690522.00	48243186.00	0.00	1. छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (प्राप्त)	0.00	30140538.72
0.00	I वेतन एवं भत्ता	0.00			जोड़ें: प्राप्य अनुदान	0.00	
4030403.00	II मजदूरी	4833751.00			घटायें: पूंजीकृत राशि	0.00	
0.00	III अवकाश वेतन, अंशदान एवं निवृत्ति वेतन	0.00			शुद्ध योग:		
1325635.00	IV सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	169373.00		18891527.06	2. निवेश पर ब्याज		
1528491.00	V मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	549540.00		0.00	3. अग्रिम पर ब्याज		
2147494.00	VI अवकाश नगदीकरण			3515917.70	4. बैंक में रोकड़ पर ब्याज		
	2. व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान (सुरक्षा एवं भवन रक्षण)				5. सुरक्षा निधि पर ब्याज		
	3. यात्रा व्यय (सारणी-य)			0.00	6. वर्तन एवं शुल्क एवं प्रभार		
104984.00	i. विदेश यात्रा	233965.00		112936447.00	7. विविध प्राप्तियां		
417092.00	ii. देशीय यात्रा	764566.00	998531.00	313102.00	(क) सम्पत्ति के विक्रय पर लाभ	0	134826811.40
18604.00	iii. अवकाश यात्रा रियायत	0.00		36000.00	(ख) निविदा प्रपत्र की बिक्री	1500	
12500.00	4. मानदेय (राज्य सलाहकार समिति)			27000.00	(ग) स्टॉफ कार वसूली	21500	
0.00	5. ओवर टाईम भत्ता			6000.00	(घ) प्रकाशन का विक्रय	4700.00	
872695.00	6. चिकित्सा प्रतिपूर्ति			4866.00	(ङ) अन्य विविध प्राप्तियाँ	3378.00	
0.00	7. अधिलाभांश			0.00	(च) आयकर	0.00	
0.00	8. अन्य स्थापना व्यय				(छ) स्थगित राजस्व परिसंपत्तियाँ	25293939.00	
3524.00	9. वैधानिक व्यय			7719.00			
0.00	10. सम्पत्ति के विक्रय पर हानि			0.00			
0.00	11. जी.आई.एस. अंशदान प्रीमियम			0.00			
0.00	ख. प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय		19176372.21				25325017.00
0.00	(i) सभा एवं सम्मेलन व्यय	0.00					
210487.00	(ii) दूरभाष एवं फैक्स व्यय	208175.00					
0.00	(iii) किराया, दर एवं कर	0.00					
19300477.21	(iv) अन्य प्रशासनिक एवं कार्यालयीन व्यय	18035053.21					
0.00	(v) साफ्टवेयर के लागत में कमी	933144.00					
1805609.00	ग. अक्षयण						
57353717.55	घ. आय का व्यय पर आधिक्य						
135730859.76	योग		190927544.12	135730859.76	योग		190927544.12

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

(सारणी-ज)
(देखिये नियम 5)
स्थापना व्यय 31 मार्च 2025
(1.4.2024 से 31.3.2025)

राशि (₹)					
क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (₹)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	वेतन एवं भत्ते	2784381.00	28868573.00	11037568.00	42690522.00
(II)	मजदूरी	0.00	0.00	0.00	0.00
(III)	पेंशन अंशदान	0.00	3343826.00	1489925.00	4833751.00
(IV)	सी.पी.एस. निधि पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
(V)	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान	0.00	145025.00	24348.00	169373.00
(VI)	अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	34730.00	373315.00	141495.00	549540.00
	योग	2819111.00	32730739.00	12693336.00	48243186.00

(सारणी-य)
(देखिये नियम 5)
यात्रा व्यय 31 मार्च 2025
(1.4.2024 से 31.3.2025)

राशि (₹)					
क्रमांक	व्यय का विवरण	अध्यक्ष एवं सदस्य	अधिकारी	कर्मचारी	कुल राशि (₹)
		(I)	(II)	(III)	(IV)
(I)	देशीय यात्रा	489829.00	274737.00	0.00	764566.00
(II)	विदेश यात्रा	56905.00	177060.00	0.00	233965.00
(III)	अवकाश यात्रा रियायत	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	546734.00	451797.00	0.00	998531.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्रशासनिक एवं अन्य कार्यालयीन व्यय

31.3.2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2024 से 31.3.2025)

राशि (₹)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष के व्यय (देखिये आय एवं व्यय खाता) ₹	अदत्त		चालू वर्ष में भुगतान (देखिये प्राप्ति एवं भुगतान खाता) ₹
			गत वर्ष के अदत्त व्यय चालू वर्ष में हस्तांतरित 01.04.2024 को	चालू वर्ष के अदत्त व्यय आगामी वर्ष में हस्तांतरित 31.03.2025 को	
1	2	3	4	5	6
1	विज्ञापन एवं प्रचार	532751.00	500000.00	0.00	1032751.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार देय	3315.00	312180.00	0.00	315495.00
3	बैंक शुल्क	5858.21	0.00	0.00	5858.21
4	पुस्तक एवं नियत कालिक पत्रिका	48216.00	0.00	0.00	48216.00
5	संगणक लेखन सामग्री एवं उपभुक्त	14650.00	0.00	0.00	14650.00
6	सलाहकारिता शुल्क	2440181.00	0.00	0.00	2440181.00
7	विद्युत एवं पानी खर्च	249470.00	11400.00	0.00	260870.00
8	अधिवक्ता शुल्क	7692371.00	763337.00	1410250.00	7045458.00
9	साज सज्जा एवं कार्यालय उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
10	भाड़ा (आटो रिक्शा)	320749.00	25731.00	26704.00	319776.00
11	भाड़ा (कार)	665799.00	53446.00	50320.00	668925.00
12	प्रशिक्षण व्यय	85904.00	0.00	0.00	85904.00
13	विद्युत रखरखाव	340773.00	22184.00	18260.00	344697.00
14	उपस्कर एवं जुड़नार (मरम्मत एवं रखरखाव)	6433.00	0.00	0.00	6433.00
15	उद्यान रखरखाव व्यय	569124.00	43106.00	43956.00	568274.00
16	यात्रा व्यय (साक्षात्कार हेतु)	0.00	0.00	0.00	0.00
17	अतिथि सत्कार व्यय	11987.00	0.00	0.00	11987.00
18	पोशाक/गणवेश व्यय	38912.00	0.00	12000.00	26912.00
19	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता	94205.00	0.00	15764.00	78441.00
20	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण एवं कम्प्यूटर	212899.00	22545.00	11394.00	224050.00
21	सदस्यता शुल्क व्यय (FOR)	1180000.00	0.00	0.00	1180000.00
22	सदस्यता शुल्क व्यय (FOIR)	100000.00	0.00	0.00	100000.00
23	सदस्यता शुल्क व्यय (SAFIR)	391760.00	0.00	0.00	391760.00
24	सदस्यता शुल्क व्यय (CBIP)	59000.00	0.00	0.00	59000.00
25	सदस्यता शुल्क व्यय (IIT Kanpur)	0.00	0.00	0.00	0.00
26	विविध कार्यालय व्यय	717276.00	356740.00	50240.00	1023776.00
27	समाचार पत्र एवं पत्रिका व्यय	29959.00	4865.00	2550.00	32274.00
28	पेट्रोल/तेल एवं चिकनाई	450240.00	100000.00	27500.00	522740.00
29	डाक एवं तार व्यय	45022.00	0.00	0.00	45022.00
30	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म	205893.00	7640.00	0.00	213533.00
31	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय	91968.00	0.00	0.00	91968.00
32	शुल्क एवं भत्ते (राज्य सलाहकार समिति बैठक)	0.00	0.00	0.00	0.00
33	मरम्मत एवं रखरखाव मोटर गाड़ी (अध्यक्ष एवं सदस्य)	280637.00	0.00	0.00	280637.00
34	चिकित्सा परामर्श शुल्क	16460.00	0.00	0.00	16460.00
35	चिकित्सा व्यय	231.00	0.00	0.00	231.00
36	कर्मचारी प्रोत्साहन व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
37	अनुवाद व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
38	भवन (सुधार एवं रखरखाव)	41636.00	0.00	0.00	41636.00
39	सभा व्यय	95489.00	0.00	0.00	95489.00
40	अन्य प्रशासनिक व्यय	942750.00	74272.00	76068.00	940954.00
41	जल व्यय	53135.00	0.00	0.00	53135.00
42	सोलार ऊर्जा (सुधार एवं रखरखाव)	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	18035053.21	2297446.00	1745006.00	18587493.21

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

प्ररूप-4
(देखिये नियम 8)

तुलन पत्र 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(1.4.2024 से 31.3.2025)

गत वर्ष (₹)	दायित्व	राशि (₹)	कुल राशि (₹)	गत वर्ष (₹)	आस्तियाँ	राशि (₹)	कुल राशि (₹)
312844540.47	सी.एस.ई.आर.सी. (निधि का गठन एवं निधि की रिति) नियम 2007 (सारणी-1)			45738774.00	स्थायी आस्तियाः सकल योग (सारणी-क)	83405466.00	
	प्रारंभिक शेष	275983169.47					
	जोड़िये: पूर्वगामी अवधि	0.00					
	योग	275983169.47			घटाईये: अवक्षयण	39231676.00	
	जोड़िये: आय का व्यय पर आधिक्य	93079576.91			शुद्ध योग		44173790.00
	योग	369062746.38		0.00	क्रियमाण कार्य (नये कार्यालय भवन का निर्माण)		0.00
	जोड़िये: एम.एन.आर.ई. से सहायता अनुदान	3253055.00					0.00
	घटाईये: अवक्षयण	133000.00	3120055.00	364369210.65	निवेश (सारणी-ख)		395891010.72
	जोड़िये: छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान	33111079.00		195033.00	आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम (सारणी-ग)		163331.00
	जोड़िये: स्टेट गैरेज से प्राप्य	313102.00		156170.00	निक्षेप (सारणी-घ)		256170.00
	जोड़िये: ब्याज	235863.00					
	जोड़िये: पूर्वगामी अवधि ब्याज	3030397.00					
	घटाईये: पूर्वगामी अवधि अवक्षयण	749584.00		0.00	भविष्य निधि (सारणी-ङ)		0.00
	घटाईये: अवक्षयण	1088591.00	34852266.00	601555.00	विविध देनदार (सारणी-च)		686295.00
150000000.00	पेंशन हेतु संचय		150000000.00	0.00	अनुदान प्राप्य (सारणी-छ)		0.00
	ऋणः			17255.00	अंतिम शेषः		
	चालू दायित्व एवं प्रावधानः			88201380.97	हस्तस्थ रोकड (सारणी-ज)		57224.00
-859729.50	प्रेषण (सारणी-2)		-450518		बैंक में रोकड (सारणी-झ)		143706752.16
-646316.00	भविष्य निधि (सारणी-3)		36206.00	0.00	लेखाओं पर टिप्पणीयाँ (सारणी-र)		
42588456.65	विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व (सारणी-4)		31578767.50	0.00	जी.आई.एस. (पूर्वदत्त)		0.00
0	उपादान हेतु प्रावधान (समस्त कर्मचारियों के लिए) (सारणी-5)		0.00	0.00	मोटर कार बीमा (पूर्वदत्त)		0.00
186050	दावा न की गई फीस		166050.00	1838000.00	पी.डब्ल्यू.डी को अग्रिम		1838000.00
				1402623.00	एन.आई.सी सर्विस को अग्रिम		0.00
				1593000.00	आई.आई.टी. कानपुर को अग्रिम		1593000.00
504113001.62	योग		588365572.88	504113001.62	योग		588365572.88

टीपः 1 राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 2335, नियम 2/4/72, दिनांक 14.11.72 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभांष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु.100000/-, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.50000/- आकलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-1

(देखिये फार्म IV)

पूँजी निधी 31 मार्च 2025

(1.4.2024 से 31.3.2025)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	भूमि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	कार्यालय भवन	31195436.00	0.00	31195436.00	633595.00	30561841.00
(iii)	उपस्कर एवं जुड़नार	1956724.00	0.00	1956724.00	354122.00	1602602.00
(iv)	वातानुकूलित	765570.00	0.00	765570.00	78979.00	686591.00
(v)	गणक यंत्र	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00
(vi)	आंकड़ा संसाधन यंत्र	296820.00	0.00	296820.00	178050.00	118770.00
(vii)	विद्युत उपकरण	129189.00	0.00	129189.00	0.00	129189.00
(viii)	अग्नि शमन उपकरण	5832.00	21000.00	26832.00	879.00	25953.00
(ix)	यंत्र एवं उपकरण	3038594.00	33900.00	3072494.00	267612.00	2804882.00
(x)	भू-सज्जा एवं उद्यान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xi)	सूचना एवं प्रौद्योगिकिय	1038416.00	236416.00	1274832.00	395448.00	879384.00
(xii)	सौर ऊर्जा संयंत्र	5060285.00	0.00	5060285.00	206888.00	4853397.00
(xiii)	मोटर गाड़ी	2251899.00	0.00	2251899.00	516706.00	1735193.00
(xi)	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xiii)	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xiv)	कम्प्युटर साफ्टवेयर		1709123.00		933144.00	775979.00
(xv)	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xvi)	पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xvii)	छत्तीसगढ़ शासन से सहायता अनुदान (अधोसंरचना)	33111079.00	2829778.00	35940857.00	1088591.00	34852266.00
(xviii)	एम.एन.आर.ई से सहायता अनुदान (सौर ऊर्जा संयंत्र)	3253055.00	0.00	3253055.00	133000.00	3120055.00
	निवल चालू आस्तियाँ	230741632.47	94147323.91	324888956.38	0.00	324888956.38
		312844540.47	98977540.91	410112958.38	4787014.00	407035067.38

सारणी-2

(देखिये फार्म IV)

प्रेषण 31 मार्च 2025

(1.4.2024 से 31.3.2025)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	योग	अपलिखित राशि	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
(I)	सामान्य भविष्य निधि कोष एवं अन्य कार्यालय कोष (समुह बीमा योजना + सामान्य भविष्य निधि)	14154.00	180000.0	194154.0	162000.0	32154.00
(ii)	अनुज्ञप्ति शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	आयकर	-892880.00	6817514.00	5924634.00	6458138.00	-533504.00
(iv)	वस्तु एवं सेवा कर	2754.00	141351.00	144105.00	141357.00	2748.00
(v)	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(vi)	गृह किराया वसूली	2195.00	7150.00	9345.00	6600.00	2745.00
(vii)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	14047.50	409184.00	423231.50	377892.50	45339.00
		-859729.50	7555199.00	6695469.50	7145987.50	-450518.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-3

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2025

(अंशदायी पेंशन योजना)

(1.4.2024 से 31.3.2025)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
क.	राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि		
1	प्रारंभिक शेष	निरंक	
2	अभिदान	निरंक	
3	अग्रिम की वसूली	निरंक	
4	ब्याज	निरंक	
	घटाये: अग्रिम/अंतिम देय/निवेश		
	शेष:		
ख.	निवृत्ति वेतन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ कोष		
1	प्रारंभिक शेष	-646316.00	
2	नया अंशदान निवृत्ति वेतन कोष		
	(i) कर्मचारी अंशदान	3465613.00	
	(ii) नियोक्ता अंशदान	4833751.00	
3	सेवानिवृत्त लाभ कोष	निरंक	
4	ब्याज	0	7653048.00
	घटाये: कुल भुगतान		7616842.00
	योग		36206.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-4

(देखिये फार्म IV)

विविध लेनदार एवं अन्य दायित्व 31 मार्च 2025

(1.4.2024 से 31.3.2025)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	प्रेषित राशि	पुनः भुगतान	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रतिभूति निक्षेप	355386.00	6820.00	0.00	0.00	362206.00
2	बयाना राशि जमा	679526.00	184000.00	0.00	294500.00	569026.00
3	विविध लेनदार	1290726.00	22387.00	0.00	0.00	1313113.00
4	अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें)					
1	विज्ञापन एवं प्रचार (देय)	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00
2	अंकेक्षण शुल्क महालेखाकार (देय)	312180.00	0.00	312180.00	0.00	0.00
3	छ.ग. गृह निर्माण मंडल (देय)	3129961.00	0.00	0.00	0.00	3129961.00
4	क्रेडा, रायपुर (देय)	5585495.00	0.00	0.00	0.00	5585495.00
5	सलाहकारिता शुल्क (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	विद्युत लोकपाल व्यय (देय)	319364.00	0.00	0.00	319364.00	0.00
7	विद्युत एवं पानी व्यय (देय)	11400.00	0.00	11400.00	0.00	0.00
8	अधिवक्ता शुल्क (देय)	763337.00	1410250.00	763337.00	0.00	1410250.00
9	भाड़ा (आटो रिवशा) देय	25731.00	26704.00	25731.00	0.00	26704.00
10	भाड़ा (कार) देय	53446.00	50320.00	53446.00	0.00	50320.00
11	उद्यान रखरखाव व्यय (देय)	43106.00	43956.00	43106.00	0.00	43956.00
12	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स लागत (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	यात्रा के दौरान स्थानिय परिवहन भत्ता (देय)	0.00	15764.00	0.00	0.00	15764.00
14	वर्दी व्यय	0.00	12000.00	0.00	0.00	12000.00
15	अवकाश नगदीकरण (देय)	8260765.00	549540.00	0.00	0.00	8810305.00
16	मरम्मत एवं रखरखाव यंत्र, उपकरण (देय)	22545.00	11394.00	7515.00	15030.00	11394.00
17	यंत्र एवं उपकरण की लागत (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	चिकित्सा सहकारिता शुल्क (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	अन्य कार्यालय व्यय (देय)	-319760.00	50240.00	50240.00	-370000.00	50240.00
20	विद्युत रखरखाव (देय)	22184.00	18260.00	22184.00	0.00	18260.00
21	अखबार/पत्र व्यय (देय)	4865.00	2550.00	4865.00	0.00	2550.00
22	छपाई, लेखन सामग्री एवं फार्म (देय)	7640.00	0.00	7640.00	0.00	0.00
23	मृत्यु सह सेवानिवृत्त उपादान हेतु संचय	97096.00	103568.00			200664.00
24	पेट्रोल आईल एवं चिकनाई (देय)		27500.00			27500.00
25	वेतन एवं भत्ते (देय)	3555796.00	3100443.50	3555796.00	0.00	3100443.50
26	सुरक्षा एवं भवन रक्षण मजदूरी (देय)	342411.00	232816.00	342411.00	0.00	232816.00
27	प्रशुल्क याचिका पुस्तिका का विक्रय (छ.ग.रा.वि.मं. को देय)	37050.00	0.00	0.00	0.00	37050.00
28	चाय/काफी प्रीमिक्स व्यय (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	दूरभाष एवं फैंक्स व्यय (देय)	10493.00	19029.00	10493.00	0.00	19029.00
30	यात्रा भत्ता (देय)	76470.00	41546.00	76470.00	0.00	41546.00
31	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (देय)	300000.00	300000.00	300000.00		300000.00
32	अन्य प्रशासनिक व्यय (देय)	74272.00	76068.00	74272.00	0.00	76068.00
33	विद्युत लोकपाल के खर्चों को अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त	597582.00	3754727.00	0.00	3895561.00	456748.00
34	वितरण कंपनी को (देय)	16349833.65		10754030.65	0.00	5595803.00
35	पी.डब्ल्यू.डी (देय)	79556.00	0.00	0.00	0.00	79556.00
36	बालाजी कम्प्यूटेक प्रा.लि (देय)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	सदस्यता शुल्क व्यय (IIT Kanpur) देय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	42588456.65	10059882.50	16915116.65	4154455.00	31578767.50

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-5

(देखिये फार्म IV)

उपादान हेतु प्रावधान 31 मार्च 2025

(1.4.2024 से 31.3.2025)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
1	प्रारंभिक शेष	0.00	
2	चालु वर्ष में प्रावधान	0.00	
	योग:	0.00	
	घटायें: चालु वर्ष में भुगतान	0.00	
1		0.00	
2		0.00	
3		0.00	0.00
	शुद्ध शेष		0.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-क
(देखिये फार्म IV)
स्थायी आस्तियाँ 31 मार्च 2025
(1-4-2024 से 31-3-2025)

क्रमांक	आस्तियों का विवरण	सकल ब्लाक				अक्षयण की दर	अक्षयण				राशि (₹)	
		प्रारम्भिक	जेड़िये	निपटान	योग		प्रारम्भिक शेष 01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	निपटान	अंतिम शेष 31 मार्च 2025 को	गत वर्ष तक	चालू वर्ष तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
1	भूमि (छ.ग. शासन से निःशुल्क प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	भवन	40100961.00	0.00	0.00	40100961.00	1.58%	8905525.00	633595.00	0.00	9539120.00	31195436.00	30561841.00
3	उपस्कर एवं जुड़नार	5586779.00	0.00	0.00	5586779.00	9.50%	3630055.00	354122.00	0.00	3984177.00	1956724.00	1602602.00
4	वातानुकूलित	2113342.00	0.00	0.00	2113342.00	6.33%	1347772.00	78979.00	0.00	1426751.00	765570.00	686591.00
5	गणक यंत्र	180.00	0.00	0.00	180.00	6.33%	171.00	0.00	0.00	171.00	9.00	9.00
6	आंकड़ा संसाधन यंत्र	2373682.00	0.00	0.00	2373682.00	40.00%	2076862.00	178050.00	0.00	2254912.00	296820.00	118770.00
7	विद्युत उपकरण	2583787.00	0.00	0.00	2583787.00	6.33%	2454598.00	0.00	0.00	2454598.00	129189.00	129189.00
8	अग्नि शमन उपकरण	116636.00	21000.00	0.00	137636.00	6.33%	110804.00	879.00	0.00	111683.00	5832.00	25953.00
9	यंत्र एवं उपकरण	4432797.00	33900.00	0.00	4466697.00	6.33%	1394203.00	267612.00	0.00	1661815.00	3038594.00	2804882.00
10	भू-सज्जा एवं उद्यान	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	सूचना एवं प्रौद्योगिकिय	4192002.00	236416.00	0.00	4428418.00	40.00%	3153586.00	395448.00	0.00	3549034.00	1038416.00	879384.00
12	सौर ऊर्जा संयंत्र	15555495.00	0.00	0.00	15555495.00	1.33%	10495210.00	206888.00	0.00	10702098.00	5060285.00	4853397.00
13	मोटर गाड़ी	4349366.00	0.00	0.00	4349366.00	11.88%	2097467.00	516706.00	0.00	2614173.00	2251899.00	1735193.00
14	उपहार/दान सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	अन्य सम्पत्तियाँ (विनिर्दिष्ट करें)	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	सकल योग (1) से (15)	81405027.00	291316.00	0.00	81696343.00		35666253.00	2632279.00	0.00	38298532.00	45738774.00	43397811.00
17	एन्टिवायरस साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	अन्य साफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	संगणक साफ्टवेयर		1709123.00		1709123.00	0.10		933144.00		933144.00		775979.00
20	पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	पूँजी क्रियमाण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	महा योग (16+18)	81405027.00	2000439.00	0.00	83405466.00		35666253.00	3565423.00	0.00	39231676.00	45738774.00	44173790.00
23	गत वर्ष	81059720.00	345307.00	0.00	81405027.00		33038380.00	2627873.00	0.00	35666253.00	48021340.00	45738774.00

टीप:

- * आयोग द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मूल्य हास दर को स्वीकृत करते हुए मानक लेखांकन –VI का पालन किया गया है।
- ** सोलार पावर प्लान्ट पर आर.ई. विनियम के आधार पर हास दर @7% कि दर से 10 वर्ष तक एवं इसके उपरान्त 1.33% की दर से अपलिखित किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ख

(देखिये फार्म IV)

निवेश 31 मार्च 2025

(1.4.2024 से 31.3.2025)

					राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण				राशि (₹)	राशि (₹)
1	बैंक में स्थायी जमा					
i.	प्रारंभिक शेष				357294381.00	
ii.	किया गया निवेश				2600000000.00	
iii.	निवेश का नगदीकरण				237294381.00	
iv.	अंतिम शेष					3800000000.00
	योग				3800000000.00	3800000000.00
2	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण पत्र पर निवेशअन्य प्रतिभूति (विनिर्दिष्ट करें)					
(a)	प्रारंभिक शेष					
(b)	किया गया निवेश					
(c)	निवेश का नगदीकरण					
(d)	अंतिम शेष					
	योग				3800000000.00	3800000000.00
3	बैंकों के नाम लिखें					
		एच.डी.एफ.सी. बैंक	एच.डी.एफ.सी. बैंक	आई.डी.बी.आई. बैंक		
i.	राशि का विवरण:	1200000000.00	1300000000.00	1300000000.00		
ii.	जमा की तारीख:	28.03.2024	11.07.2024	12.02.2025		
iii.	जमा की समयावधि:	1 वर्ष 3 माह	1 वर्ष 5 दिन	1 वर्ष		
iv.	देय तिथि:	26.06.2025	16.07.2025	12.02.2026		
v.	ब्याज दर:	7.75%	7.55%	7.76%		
vi.	ब्याज:	9553210.00	4981887.00	1355913.72	15891010.72	15891010.72
	योग				15891010.72	15891010.72
	कुल योग (1+2+3)				395891010.72	395891010.72

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ग

(देखिये फार्म IV)

आकस्मिक एवं अन्य ऋण एवं अग्रिम 31 मार्च 2025

(1-4-2024 से 31-3-2025)

राशि (₹)					
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
अ	आकस्मिक अग्रिम				
(अ)	के.लो.नि.विभाग को अग्रिम				
(ब)	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान को अग्रिम				
(स)	आपूर्तिकर्ता को अग्रिम				
(द)	अन्य अग्रिम				
	उप-योग				
ब	कर्मचारियों को अग्रिम				
(अ)	यात्रा अग्रिम	52804.00	1870740.00	1846213.00	77331.00
(ब)	त्यौहार अग्रिम	70000.00	170000.00	176000.00	64000.00
(स)	अन्य अग्रिम (यात्रा अग्रिम)	72229.00	459735.00	509964.00	22000.00
	उप-योग	195033.00	2500475.00	2532177.00	163331.00
स	अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)				
(अ)	विद्युत लोकपाल के व्यय (अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त)	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-योग	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	195033.00	2500475.00	2532177.00	163331.00

सारणी-घ

(देखिये फार्म IV)

निक्षेप 31 मार्च 2025

(1-4-2024 से 31-3-2025)

राशि (₹)					
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	वसूली एवं समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
1	प्रतिभूति निक्षेप	156170.00	100000.00	0.00	256170.00
2	बयाना राशि निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
3	अन्य निक्षेप	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	156170.00	100000.00	0.00	256170.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ड

(देखिये फार्म IV)

भविष्य निधि 31 मार्च 2025

(1-4-2024 से 31-3-2025)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
अ	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग भविष्य निधि प्रारंभिक शेष (बैंक में) जोड़िये: चालू वर्ष में किये गये निवेश	-646316.00	0.00
		646316.00	
		0.00	
ब	घटाईये: निवेश का नगदीकरण अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग	0.00	0.00

सारणी-च

(देखिये फार्म IV)

विविध देनदार 31 मार्च 2025

(1-4-2024 से 31-3-2025)

		राशि (₹)			
क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	जोड़िये	समायोजन	अंतिम शेष
1	2	3	4	5	6
अ	बजरंग स्पात एवं स्टील ली. से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
ब	फोरम आफ रेगुलेटर से प्राप्य	0.00	675850.00	0.00	675850.00
स	छ.ग.रा.वि.उ.क. मर्या. से प्राप्य	0.00	43.00	0.00	43.00
द	विद्युत लोकपाल कार्यालय के खर्चों का भिलाई स्टील पलान्ट से प्राप्य	0.00	10402.00	0.00	10402.00
ई	अनुज्ञप्ति शुल्क अंतर की राशि भिलाई स्टील पलान्ट से प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00
फ	आयकर प्राप्य	787420.00	0.00	787420.00	0.00
	योग	787420.00	686295.00	787420.00	686295.00

सारणी-छ

(देखिये फार्म IV)

अनुदान प्राप्य 31 मार्च 2025

(1-4-2024 से 31-3-2025)

		राशि (₹)	
क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	राशि (₹)
अ	छत्तीसगढ़ शासन से अनुदान प्रारंभिक शेष जोड़िय: चालू वर्ष में किये गये दावे		0.00
		0.00	
		0.00	
	घटाईये: चालू वर्ष में प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी-ज

(देखिये फार्म IV)

हस्तस्थ रोकड़ 31 मार्च 2025

(1-4-2024 से 31-3-2025)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
अ	वेतन	0.00
ब	यात्रा भत्ता	0.00
स	आकस्मिक	0.00
द	कार्यालय व्यय	52224.00
ई	अन्य (विद्युत लोकपाल खुदरा रोकड़)	5000.00
	योग	57224.00

सारणी-झ

(देखिये फार्म IV)

बैंक में रोकड़ 31 मार्च 2025

(1-4-2024 से 31-3-2025)

राशि (₹)

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
अ	पंजाब नैशनल बैंक, रायपुर	18881809.40
ब	आई.डी.बी.आई बैंक, रायपुर	6646036.40
स	बैंक आफ बड़ौदा, रायपुर	30664627.00
द	भारतीय स्टेट बैंक, रायपुर	3105873.06
ई	एच.डी.एफ.सी. बैंक	84408406.30
	योग	143706752.16

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर

सारणी -र

(देखिये नियम 3)

दिनांक 31.3.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लेखाओं पर टिप्पणी
(1.4.2024 से 31.3.2025)

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ/लेखाओं पर टिप्पणियाँ—वार्षिक लेखा विवरण के साथ संलग्न किये जाने योग्य।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :-

1. प्रारंभिक शेष आयोग प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दिनांक 31 मार्च 2024 के अंकक्षित तुलन पत्र के आधार पर लिया गया है।
2. आयोग के लेखाओं को लेखांकन की उदित लेखांकन विधि से तथा ऐतिहासिक लागत मान्यता के आधार पर तैयार किया गया है।
3. आयोग के लेखाओं का लेखांकन वाणिज्यिक लेखांकन पद्धति के आधार पर किया गया है।
4. समस्त अनुदानों का लेखा मानक लेखांकन 12 के अनुसार किया गया है।
5. स्थायी आस्तियों का मूल्य, लागत मूल्य में दर्शाया गया है।
6. आयोग द्वारा मूल्यह्रास की दर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से परिकलित किया गया है।
7. संगणक यंत्र, सूचना एवं प्रौद्योगिकिय, मोबाईल एवं अन्य उपकरणों के संबंध में 40% घटती किस्त पद्धति को आयोग द्वारा अपनाया गया है।
8. आयोग की आय एवं सम्पत्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 के द्वारा संघीय करारोपण से विमुक्त रखा गया है।
9. राज्य शासन द्वारा आयोग को कार्यालय भवन हेतु 2400 वर्ग मीटर भूमि का निःशुल्क आवंटन किया गया है।
10. आयोग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान हेतु रु.17962310/- का संचय 31 मार्च 2025 को समपत्त वर्ष हेतु किया गया है।
11. बैंक सावधी जमा पर ब्याज, बैंक द्वारा जारी अर्जित ब्याज प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया गया है।
12. राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक 16/2025, दिनांक 16.05.22 में निहित प्रावधानानुसार अधिलाभाष भुगतान का प्रावधान शासकीय कर्मचारी के मृत्योपरान्त किया जाना है। इस संबंध में आकस्मिक दायित्व का प्रावधान अनुमानित रूप से अधिकतम दायित्व के रूप में रु.100000/-, किया गया है। प्रति कर्मचारी रु.50000/- आकलित किया गया है।

- 13 छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा रु.4.01 करोड़ में आयोग भवन का निर्माण किया गया जिसे आयोग द्वारा सकल राशि को पूंजीकृत किया गया है। परन्तु भवन निर्माण प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया गया है आयोग द्वारा भवन का उपयोग किया जा रहा है अतः पूंजीकृत राशि पर ही अवक्षयण लगाया जा रहा है।
- 14 वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2017 के बाद प्राप्त वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क पर रु.8.52 करोड़ वस्तु एवं सेवा कर दायित्व का दावा प्रस्तुत किया गया। दावा के खिलाफ डब्लू.पी.टी. नं. 256/2023 के द्वारा आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. में आदेश को चुनौती दी साथ दिनांक 12.12.23 को स्थगन आदेश प्राप्त किया है।

लेखाधिकारी

सचिव